राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 184/2013

कृष्ण मुरारी शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, ज्योतिनगर, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.11.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी लेखाकार के पद से वेतन श्रृंखला 6500–10500 में मूल वेतन 7700/– पर 15 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुआ। राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01.09.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशनर्स के संबंध में रिवाइज पेंशन का मेमोरेण्डम दिनांक 12.09.2008 जारी किया, जिसमें मत संख्या 5(1) निम्न प्रकार से है :–

> "5(i). The consolidated pension (treated as final 'Basic Pension') as on 01.09.2006 of pre-01.09.2006 pensioner shall not be lower than 50% of sum of the minimum pay of the post in the running pay band plus grade pay introduced w.e.f. 01.09.2006 corresponding to the pre-revised pay scale of the post from which pensioner had retired, subject to the condition that the existing provisions in the rules governing qualifying service for grant of pension and minimum pension shall continue to be operative."

2. अपीलार्थी उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अपनी पेंशन रिवाईज कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी का न्यूनतम वेतन 01.09.2006 को छठे वेतन आयोग के आधार पर रिवाईज होने के पश्चात उसका वेतन नियतन 12090 + 4200 कुल 16290/– राशि होती है, जिसका कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन का भाग होना चाहिए, जो कि 8145/–रूपये बनती है, परन्तु अपीलार्थी को इससे कम पेंशन अदा की जा रही है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12–9–2008 के मद संख्या 4 व 5 के

अनुसार अपीलार्थी की पैंशन कन्सोलिडेशन का प्रश्न है, वह कोषाधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलार्थी की पीपीओ सं. 156096(आर) पर दिनांक 7–4–2009 को निर्धारित करते हुए कन्सोलिडेशन पेंशन 6594/–रूपये दिनांक 1–9–2006 से निर्धारित की गयी है, जो कि अपीलार्थी के धारित पद के वेतनमान 9300+3600=12900/– का 50% 6450X50/66=4887/– रूपये से अधिक है। इनकी पैंशन योग्य सेवा अवधि 25 वर्ष है। अतः इसी अनुपात में अपीलार्थी की पैंशन गणना योग्य है। अधिसूचना का बिन्दु सं. 5 राज्य सरकार के पेंशनरों पर लागू नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी पेंशन संशोधित कराने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2010 को पेंशन विभाग को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया था कि उसका पुनः वेतन 12090+4200 पर नियत होगा, जिसके आधार पर उसकी पेंशन की गणना की जाए। अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का निस्तारण वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 12.09.2008 के आधार पर किया जाए। हम यह पातें है कि मेमोरेण्डम दिनांक 12.09.2008 के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की पेंशन रिवाईज करने के लिये उत्तरदायी था।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जो अभ्यावेदन दिनांक 10.10.2010 (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थी विभाग को दिया गया था, उसे प्रत्यर्थी विभाग मेमोरेण्डम दिनांक 12.09.2008 की रोशनी में पुनः परीक्षण करे एवं उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अपीलार्थी की पेंशन रिवाईज करने के लिये उचित आदेश पारित करें। यदि अपीलार्थी की पेंशन रिवाईज की जाती है तो अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज राशि अदा की जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)